HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7376/2026
CNR: RJHC020437962026 | URN: CRLMB / 13430U / 2026

Yogendra Pareek S/o Gajanand Pareek, Aged About 45 Years, R/o C-420, Purana Vidhyadhar Nagar, Behind Church, Sector-8, Police Station Vidhyadhar Nagar, Jaipur. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kamal Kumar Gupta
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Jagdish Prasad Gurjar Mr. Shyam Bihari Gautam

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/09/2026

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2026 पर सुना गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आरोपपत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर उसमें टंकित प्रति संबंधी आक्षेप कार्यालय द्वारा इंगित किये गये थे। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस प्रक्रम पर कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप दूर करते हुए आरोपपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली, जिला–जयपुर शहर उत्तर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 409, 193, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कौनसे फर्जी खाते खुलवाये गये हैं, इस आशय का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। प्रार्थी

व उसके रिश्तेदारों के खाते में कोई राशि आना दर्शित नहीं है। सहअभियुक्तगण अजय, गौरव और लोकेश, जिन पर भी प्रार्थी की तरह ही फर्जी खाते खुलवाने का आक्षेप लगाया गया था, को इस न्यायालय द्वारा और समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.04.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण में कुल 67 साक्षीगण है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर 569 खाते फर्जी तरीके से खुलवाए और उन्हें 4,13,00,000 रूपये से अधिक का ऋण देकर लगभग 3,00,00,000 रूपये की राशि परिवादी के साथ धोखाधड़ी कारित करते हुए गबन की है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त अथवा उसके किसी रिश्तेदार के बैंक खाते में राशि प्राप्त होना दर्शित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.04.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी के समान ही फर्जी खाते खुलवाने का आक्षेप सहअभियुक्तगण अजय, गौरव व लोकेश पर था, जिन्हें इस न्यायालय व समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण में कुल 67 साक्षीगण है। अतः अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले

में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

67/VISHAL SHARMA